

13/9/17 को पेश हो
~~13/9/17~~ 13/9/17

13/9/17 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/10/17 को पेश हो।

12/10/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डे... के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 30/10/17 को पेश हो।

30/10/17 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 8/11/17 को पेश हो।

8/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपद उपर। वकूलाय द्वारा पुरीजात रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त की गई। पत्रावली वास्तु आदेश 22/11/2017 को पेश हो।

22/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपद उपरिपत्र। तहसीलदार वकूलाय से प्राप्त अदेश पर प्रतीतिवादी संख्या 3 की आपत्ति पर उमयपद की वकूलाय पर

मनन करने, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा खसरा मानचित्र पर विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन प्रतिवादी की आपत्ति केवल प्रक्रियात्मक है जो प्राचीन की प्रतीक, पुरानी प्रतिवादी होने से गुणात्मक रूप से ना माविले गैर है। जहाँ तक प्राचीन की विभाजन प्रस्तावित शर्तों का खवाल है, वह तुलनात्मक रूप से सर्वोत्तम है तथा कारगर मुद्दा व रास्ते शुद्ध है, हिसाब बराबर है। कुर्छात पर अधिकांश आदेशों की साक्ष्यति होने तथा प्राचीन प्रतिवादी संख्या 3 की आपत्ति में कोई दोष तथात्मक अज्ञान नहीं होने से आपत्ति सारहीन मानते हुए खारिज की जाकर वादी का वाद विस्तृत प्रतिवादी तिकी किया जाकर मुताबिक कुर्छात विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा रहा है। पतावली - दो। इसी अग्रिम डिंडी पारी दो। पतावली फेराल सुपुन दो। धर्म गव्व से मर्म दो। का दारिद्र्य दपतर दो।

निर्णय खुले आम हुआ गया / 13
 24 अक्टूबर 2013
 कसौ जिला जज